न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
04/2018	111,128 LRA	12.03.2018	05.03.2019

प्रतापचन्द पुत्र उदाराम जाति शर्मा निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह तह. वा जिला चूरू (राज.)
–प्रार्थी–

बनाम

1. जयलाल पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी गांव लादड़िया तहसील वा जिला चूरू
2. श्यामलाल दत्तक पुत्र देबूराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह तहसील वा जिला चूरू
3. नोरंगलाल पुत्र किशनाराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लक्ष्मणसिंह तह. व जिला चूरू
4. महेन्द्र उर्फ सिंगाराम पुत्र जुहाराराम जाति जाट निवासी गांव बाढकी तहसील व जिला चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह न्यौल प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह अप्रार्थी सं. 2 से 4

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रतापचन्द के खातेदारी खेत ख.नं. 454/381 तादादी 2.3776 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लादड़िया तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसका एकमात्र खातेदार प्रतापचन्द ही है। यह कि वादी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 454/381 के उत्तर में अप्रार्थी सं. 2, दक्षिण में अप्रार्थी सं. 1 व पूर्व में अप्रार्थी सं. 4 व पश्चिम में अप्रार्थी सं. 3 की कृषि भूमि है। यह कि अप्रार्थीगण हर काश्त के मौसम में प्रार्थी के साथ सीमा को लेकर विवाद करते हैं व जबरन अपनी सीमा से आगे बढते रहते हैं। प्रार्थी इस विवा का स्थाई निदान चाहता है ताकि भविष्य में कभी कोई विवाद नहीं हो। सीमा विवाद के चलते अप्रार्थीगण कभी भी कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खेत का सीमांकन व पत्थरगढी किए जाने से ही प्रार्थी के साथ सही न्याय हो सकेगा व सीमा विवाद समाप्त हो जायेगा। यह कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमियों का रकबा मौके पर जमाबन्दी में वर्णित रकबे के अनुसार नहीं है क्योंकि समस्त अप्रार्थीगण ने चारों तरफ की सीमाओं में प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि को दबा रखा है। प्रार्थी बाहर रहता है जिस कारण से अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 454/381 को दबा लिया है जिंस कारण कम हो गई है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मौके पर पूर्ण चाहता है वा आपसी विवाद नहीं चाहता है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को
काफी समय से अपने खेत की दबाई हुई भूमि को खाली कर सीमांकन व पत्थरगढी
करवाने बाबत कहते रहे लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की बात से असहमत होकर पैमाईश व
पत्थरगढी नहीं करवाई है। यह कि प्रार्थी अपने खातेदारी की कृषि भूमि का रकबा पूरा
करवा कर पैमाईश करवाकर अपने हिस्से की हद तक पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.02.1 को सहमति से सीमांकन व पत्थरगढी
करवाने से इन्कार कर दिया था इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना पत्र
कारण दिनांक 20.02.18 को प्राप्त है तथा वादाधार प्रार्थी का रकबा मौके पर कम होने से
है। यह कि वादगत कृषि भूमियां रोही ग्राम लादड़िया तहसील व जिला चूरू स्थित है
जिनके सम्बन्ध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। यह कि प्रार्थना
पत्र सीमांकन व पत्थरगढी हेतु है इसलिए निर्धारित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।
अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 454/381 रोही ग्राम लादड़िया तहसील
व जिला चूरू का कुल रकबा 2.3776 हैक्टेयर को अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि
की पैमाईश की जाकर जमाबन्दी के अनुसार मौके पर पूरा किया जाकर सीमा ज्ञान
करवाया जावे तथा पत्थरगढी भी करवाई जावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से
दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी
सं. 1 से 4 स्वयं उपस्थित हुए एवं वकालतनामा व जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थी सं. 2
से 4 की ओर से श्री अर्जुनसिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया जो
शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि
प्रा0पत्र की मद सं. 1 व 2 में दर्ज कथन सही दर्ज किये जाने से स्वीकार हैं। यह कि
प्रा0पत्र की मद सं. 3 में दर्ज कथन गलत व निराधार दर्ज किये जाने से अस्वीकार है।
सही तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि जिस पर
अपने हिस्से व राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार काबिज काश्त व उपयोग, उपभोग में चले
आ रहे हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कदीमी सींव गहरी व पुख्ता हमेशा से कायम
चली आ रही है इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कर सीमांकन करवाने का कोई अधिकार
नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कोई सीमा विवाद नहीं है। यह कि प्रा0पत्र की मद
संख्या 4 में दर्ज कथन पूर्ण रूप से गलत व निराधार दर्ज किये जाने से अस्वीकार है।
सही तथ्य यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार ही
काबिज काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 ने प्रार्थी
के हिस्से की किसी भी कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं कर रखा है। प्रार्थी की कृषि

उपखण्ड अधिका
चूरू

भूमि कम है या किसी व्यक्ति ने दबा रखी है तो उसके विरूद्ध प्रार्थी धारा 183 आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत Regular Suit प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई Relif माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज कथन पूर्ण रूप से गलत एवं निराधार दर्ज किये जाने से अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का कोई विवाद नहीं है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में रकबे के अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे है तथा सभी के मध्य कदीमी सींव पुरानी व पुख्ता कायम चली आ रही है जो आज भी मौका पर अलग अलग कायम है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का अप्रार्थीगण को सीमांकन व पत्थरगढी करवाने हेतु असहमत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 में दर्ज कथन पूर्ण रूप से गलत एवं निराधार दर्ज किये जाने से अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी के किसी भी रकबे पर अप्रार्थीगण द्वारा दबाकर कोई कब्जा नहीं किया हुआ है बल्कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से तंग व परेशान करना चहाता है और इसी नीयत से हस्तगत प्रार्थना पत्र गलत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रार्थी के पिता उदाराम ने अप्रार्थी सं. 3 को अपने हिस्से की कृषि भूमि में से 4 बीघा 16 विश्वा भूमि विक्रय की थी और उस समय उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने बाबत अलग से लिखापढ़ी भी करके दिनांक 02.07.1996 को अप्रार्थी सं. 3 को दी थी मगर अब प्रार्थी के मन में कुटिलता आ जाने के कारण वह अप्रार्थी सं. 3 को उक्त रास्ता से वंचित करना चाहता है और इसी क्रम में दवाब बनाने के लिए हस्तगत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का रकबा पूरा करवाने का हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि उसे धारा 183 आर. टी.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बेदखली का दावा सम्बन्धित पक्षकार जिसने कि प्रार्थी की कृषि भूमि का रकबा दबा रखा हो, के विरूद्ध प्रस्तुत कर विधिवत् रूप से डिक्री प्राप्त करनी चाहिए थी मगर प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण को नाहक परेशान व खर्चे से जेरबार करना चाहता है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की किसी भी कृषि भूमि का कोई रकबा दबाकर उस पर कब्जा नहीं कर रखा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज कथन पूर्ण रूप से गलत एवं निराधार दर्ज किये जाने से अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार तैयार करने की गरज से उक्त तथ्य दर्ज किये गये हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 8 व 9 में दर्ज कथन कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना उपरोक्तानुसार प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से जवाब पेश होने के बाद अप्रार्थी सं. 1 को वकालतनामा व जवाब पेश करने हेतु असीमित अवसर दिये गये परन्तु वकालतनामा व जवाब पेश नहीं करने पर अन्ततः दिनांक 18.01.19 को जवाब अवसर बन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत ख.नं. 454/381 का रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया एवं प्रार्थी के खेत का रकबा दबा लिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के एकल खातेदारी के खेत की सीमांकन कर पत्थरगढी कराई जावे। वकील अप्रार्थी सं. 2 से 4 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थी सं. 3 ने प्रार्थी के पिता उदाराम की खातेदारी जमीन ख.नं. 381/210 में से जरिये विक्रय पत्र 4.16 बीघा भूमि क्रय की थी। प्रार्थी के पिता ने उक्त जमीन का जहां कब्जा दिया, वहां मैं आज भी कायम हूं। प्रार्थी के द्वारा कोई Complaint आज तक नहीं की गई तथा प्रार्थी का रास्ता मौके पर बन्द नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 02.07.96 के साथ रास्ते का इकरारानामा भी किया गया था जो मैंने जवाब के साथ पेश किया है। प्रार्थी चाहे तो अपने हिस्से की भूमि को सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करावे। साथ ही यह भी कथन किया कि स्व. उदाराम की सम्पूर्ण भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी की जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम लादड़िया के ख.नं. 454/381 तादादी 2.3776 हैक्टेयर में प्रार्थी प्रतापचन्द पुत्र उदाराम जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी लिछमणसिंह खातेदार दर्ज है एवं सम्पूर्ण कृषि भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू के रहन दर्ज है। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 से 4 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि 4 बीघा 16 विश्वा प्रार्थी के पिता उदाराम से जरिये विक्रय पत्र खरीद की है जो कि पूर्व में प्रार्थी के पिता के खातेदारी खेत का एक भाग रही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ किसी प्रकार का सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं होने का उल्लेख करते हुए प्रार्थी की कोई भूमि दबाने से इन्कार किया है परन्तु ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। अपनी बहस में वकील अप्रार्थीगण ने उदाराम की सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाये जाने का कथन किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की दबाई गई भूमि को मौके पर पूरा किये जाने का प्रश्न है जिसकी जानकारी सीमाज्ञान के बाद ही सम्भव प्रतीत होती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अपनी खातेदारी भूमि के

सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत है जिसको स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं.होती है। इस स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने की हद तक स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम लादड़िया तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 454/381 तादादी 2.3776 हैक्टेयर एवं अप्रार्थी सं. 3 के खातेदारी खसरा भूमि की नपती हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 05.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू